प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, 2019

विषय:- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 लखनऊ के डिपार्टमेन्ट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलीटेशन में 02 सीनियर रेजीडेन्ट के पदों का सृजन।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-5281/योजना/2018 दिनांक 21.08.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 लखनऊ के डिपार्टमेंट आफ फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलीटेशन हेतु सीनियर रेजीडेन्ट के 02 पद को अस्थाई रूप से दिनांक 28.02.2019 तक के लिए, बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, निम्नांकित विवरण के अनुसार सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

S. No.	Name of the Post	No. of Post	Pay Band and Grade Payafter implemention of 6th CPC
01	Senior Residents	02	PB-3 Rs. 15600-39100 Grade Pay Rs. 6600

2- चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित पद एम0सी0आई0 की गाइडलाइन के अनुरूप है।

3- सृजित पद मानकों तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप होने की दशा में ही भरे जायेंगे।

4- सृजित पदों को भरे जाने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एम0सी0आई0 की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

5- सृजित किये जा रहे पदों पर नियुक्ति निर्धारित अर्हता/आवश्यकता एवं मानकानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव का होगा। पदों पर भर्ती/नियुक्ति आदि की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखा शीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2188 दस-2018, दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 01/2019/2664/71-2-19-के0जी0एम0यू0-51/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथमद्वितीय/, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार द्वितीय उ/प्रथम (सिविल आडिट)0प्र0 इलाहाबाद।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त अधिकारीमुख्य चिकित्सा अधीक्षक/, के0जी0एम0यू0 लखनऊ।
7. वित्त -अनुभाग (व्यय नियंत्रण)3, नियोजन अनुभाग-4, वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)2, वित्त वेतन) -अनुभाग (आयोग1
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ।0प्र0
9. प्रभारी अधिकारी, एनछठां तल योजना भवन। 0सी0आई0
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।